"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2009—ज्येष्ठ 8, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2009

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.— श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से., आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर को दिनांक 01-06-2009 से 12-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 31 मई, 2009 एवं 13, 14 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर थाईलैण्ड एवं सिंगापुर की विदेश प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश काल में श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पिंगुआ के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक ई-7/14/2007/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06-04-2009 के द्वारा श्री रजत कुमार, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा को दिनांक 20-05-2009 से 19-06-2009 तक (30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री रजत कुमार को उक्त अर्जित अवकाश अवधि में दिनांक 05-06-2009 से 11-06-2009 तक मॉरीशस की यात्रा हेतु स्वयं के व्यय पर विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2009

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 08-06-2009 से 19-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 7, 20 एवं 21 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें यूरोप विदेश भ्रमण पर जाने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3 अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4 प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक एफ 6-21/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय डॉ. दुर्गा शरण चन्द्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को निम्न अवधि का पूर्ण वेतन-भत्तों सहित लघुकृत/अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :—

(1) दिनांक 24-03-2009 से 02-04-2009 तक 10 दिन का लघुकृत अवकाश एवं
(2) दिनांक 03-04-2009 से 04-04-2009 तक 02 दिन का अर्जित अवकाश.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2009

क्रमांक ई-7/8/2006/1/2.—श्री अविनाश चम्पावत, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला-नारायणपुर को दिनांक 01-05-2009 से 08-05-2009 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09 एवं 10 मई, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चम्पावत आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री चम्पावत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चम्पावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री चम्पावत के अर्जित अवकाश अवधि में श्री एम. एस. ओट्टी, डिप्टी कलेक्टर, नारायणपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ कलेक्टर, नारायणपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2009

क्रमांक ई-7/52/2004/1/2.—श्री सोनमणि वोरा, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 04-05-2009 से 13-05-2009 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03-05-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वोरा आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री वोरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वोरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2009

क्रमांक ई-7/9/2003/1/2.—श्री डी. एस. मिश्र, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 23-03-2009 से 09-04-2009 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11 एवं 12 अप्रैल, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्र, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्र को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2009

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना एवं वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 01-06-2009 से 12-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-05-2009 तथा 13 एवं 14 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना एवं वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2009

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा. प्र. से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 25-05-2009 से 06-06-2009 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-05-2009 एवं 07-06-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2009

क्रमांक 1193/77/2009/1/2. श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 20-05-2009 से 28-05-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गर्ग के उक्त अवकाश अवधि में श्री टी. के. वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू कार्य सम्पादित करेंगे

रायपुर, दिनांक 7 मई 2009

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 22-05-2009 से 06-06-2009 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07-06-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़नें की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री धनंजय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

क्रमांक ई-7/27/2004/1/2.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य तथा राजस्व विभाग को दिनांक 25-05-2009 से 30-05-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24 एवं 31 मई, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य तथा राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2009

क्रमांक/एफ 1/44/दो गृह/भापुसे/2001.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश मिश्रा, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, रायपुर (तत्कालीन संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग) को दिनांक 31-12-2008 से दिनांक 23-01-2009 तक कुल 24 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री राजेश मिश्रा, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूव प्राप्त हो रहे थे.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2009

क्रमांक/एफ 1/68/दो गृह/भापुसे/2001.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अरूण देव गौतम, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. को खंड वर्ष 2006-09 में सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 25-05-2009 से दिनांक 06-06-2009 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24-05-2009 एवं दिनांक 07-06-2009 के शासकीय विश्राम अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री अरूण देव गौतम, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण देव गौतम भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण देव गौतम, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2009

क्रमांक एफ 10-20/2009/वाक./पांच.—राज्य शासन का विचार है कि डीजल एवं पेट्रोल पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कर की दर दिनांक 1 जून, 2009 से 22 प्रतिशत से बढ़ाकर पूर्वानुसार 25 प्रतिशत की जाए.

2. यह पूर्व सूचना छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15-क की उपधारा (2) में की गई अपेक्षा के अनुसरण में दी जा रही है.

No. F 10-20/2009/CT/V.— The State Government intent to increase the rate of tax prevailing earlier on diesel and petrol from 22 percent to 25 percent under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 with effect from 1st June. 2009

2. This notice is being in pursuance of the requirement under sub-section (2) of section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक/एफ-19-10/2009/25-3/आंजावि.—हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के नामांकित सदस्यों द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2009 को राज्य हज कमेटी की प्रथम सभा में सर्वसम्मति से हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर डॉ. सलीम राज का चुनाव किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा, हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए डॉ. सलीम राज को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक एफ 8-2/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी., कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3569 को दिनांक 01-04-2009 से 31-07-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2009

विषय :- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ, 2009 मौसम में कार्यान्वित करने बाबत.

क्रमांक/1461/एफ-8/4/2009-10/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहाकरिता विभाग के पत्र क्रमांक/13011/15/99 2000-क्रेडिट-II दिनांक 26-07-1999 द्वारा दिये अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के अंतर्गत खरीफ, 2009 फसलों के लिए संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई खरीफ फसलों के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है :—

निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—
(1) धान असिंचित (2) धान सिंचित (3) मक्का (4) सोयाबीन (5) मूंगफली (6) अरहर

अधिसूचित क्षेत्र :—
(i) सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्र नई तहसील होगी, सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

(ii) इस योजना के ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

(iii) ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान, ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं

(iv) 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2009 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि खरीफ, 2009 मौसम के लिए कवर किया जावेगा.

(v) ऋणी किसानों का उच्चतम बीमा राशि चुनने के विकल्प की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2009 तक है.

अऋणी किसानों के प्रस्ताव स्वीकृत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2009 रखी गई है. ऋणी किसानों के घोषणा पत्र की समय सारिणी निम्नानुसार है :—

माह के दौरान वितरित ऋण	घोषणा पत्र स्वीकृत किये जाने की समय-सीमा
अप्रैल, मई	30 जून
जून	31 जुलाई
जुलाई	31 जुलाई
अगस्त	30 सितम्बर
सितम्बर	31 अक्टूबर
अंतिम	30 नवम्बर

जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस योजना में किया जावेगा.

संबंधित बैंकों का नोडल शाखा दिये गये समय सारिणी के अनुसार घोषणा पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे.

अधिसूचना में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की अऋणी किसानों की घोषणा पत्र भेजने की अंतिम तिथि 31-08-2009 है.

अधिसूचित फसलों का क्षतिपूर्ति स्तर एवं प्रीमियम दर निम्नानुसार होंगे :—

क्र.	फसल का नाम	प्रीमियम दर		बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर)	
		सामान्य दर	वास्तविक दर	निर्धारित उपज दर के मूल्य तक	औसत उपज दर का 150 प्रतिशत समर्थन मूल्य तक
1.	धान असिंचित	2.5 प्रति हे.	5.15 प्रति हे.	6875.00	17187.00
2.	धान सिंचित	2.5 प्रति हे.	6.95 प्रति हे.	16608.00	31140.00
3.	मक्का	2.5 प्रति हे.	5.2 प्रति हे.	5219.00	13049.00
4.	सोयाबीन	3.5 प्रति हे.	7.35 प्रति हे.	6303.00	15757.00
5.	मूंगफली	3.5 प्रति हे.	4.3 प्रति हे.	13978.00	26209.00
6.	अरहर	2.5 प्रति हे.	11.50 प्रति हे.	4919.00	12297.00

ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिए गए ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निश्चित उपज के मूल्य तक और उससे अधिक 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक होंगे, लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिये बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

प्रीमियम में अनुदान :—

ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समस्त बैंकों के नोडल कार्यालय प्रीमियम की 90 प्रतिशत राशि की इंश्योरेंस कंपनी को प्रेषित करेंगे.

लघु एवं सीमांत किसानों का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा :— जो कि केन्द्रीय सरकार के एकीकृत ग्रामीण विकास के अनुरूप होगी.

लघु कृषक :—

ऐसे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) या उससे कम जमीन हो तो वह लघु कृषक कहलायेंगे.

सीमांत कृषक :—

ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) या उससे कम जमीन हो तो वह सीमांत कृषक कहलायेंगे.

बैंक सर्विस चार्जेस :—

सभी बैंकों ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिए कुल प्रीमियम राशि का 2.5 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया जावेगा.

गणना :—

दावा की गणना आयुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई का प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से लिया जावेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा आनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं होगा.

सभी अधिसूचित फसल के लिए आंकड़े देने की अंतिम तिथि 31-01-2010 एवं अरहर फसल के लिए 31-03-2010 होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

परिशिष्ट - 1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2009 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्रमांक	फसल का नाम	जिला	परिभाषित तहसीलें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धान असिंचित (147)	रायपुर	1. रायपुर
			2. बलौदाबाजार
			3. बिलाईगढ़
			4. कसडोल
			5. सिमगा
			6. भाटापारा
			7. आरंग
			8. अभनपुर
			9. पलारी
			10. राजिम
			11. छुरा
			12. मैनपुर
			13. देवभोग
			14. बिन्द्रानवागढ़
			15. तिल्दा
		महासमुंद	1. महासमुंद
			2. बागबाहरा
			3. पिथौरा
			4. बसना
			5. सरायपाली
		धमतरी	1. धमतरी
			2. नगरी
			3. कुरूद
			4. मगरलोड
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुंडरदेही
			4. धमधा
			5. बालोद
			6. गुरूर
			7. डौंडीलोहारा
			8. बेमेतरा
			9. बेरला
			10. साजा
			11. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. छुरिया
			3. डोंगरगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
			4. खैरागढ़
			5. छुईखदान
			6. डोंगरगढ़
			7. मानपुर
			8. मोहला
			9. अम्बागढ़चौकी
		कवर्धा	1. बोडला
			2. कवर्धा
			3. पंडरिया
			4. सहसपुर लोहारा
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. लोहाण्डीगुड़ा
			3. तोकापाल
			4. बस्तानार
			5. दरभा
			6. बस्तर
			7. बकावंड
			8. कोंडागांव
			9. माकड़ी
			10. फरसगांव
			11. केशकाल
			12. बड़ेराजपुर
		नारायणपुर	1. नारायणपुर
			2. ओरछा
		कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. भानुप्रतापपुर
			5. दुर्गकोंदल
			6. पखांजूर
			7. अंतागढ़
		दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
			2. गीदम
			3. कुआकोंडा
			4. कटेकल्याण
			5. कोंटा
			6. सुकमा
			7. छिंदगढ़
		बीजापुर	1. बीजापुर
			2. भैरमगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
			3. भोपालपट्टनम
			4. उसूर
		बिलासपुर	1. मस्तुरी
			2. मुंगेली
			3. पथरिया
			4. पेण्ड्रारोड
			5. पेण्ड्रा
			6. मरवाही
			7. बिलासपुर
			8. कोटा
			9. तखतपुर
			10. लोरमी
			11. बिल्हा
		जांजगीर–चांपा	1. जांजगीर
			2. चाम्पा
			3. पामगढ़
			4. सक्ती
			5. डभरा
			6. नवागढ़
			7. जैजेपुर
			8. मालखरौदा
			9. अकलतरा
			10. बलौदा
		कोरबा	1. कोरबा
			2. करतला
			3. कटघोरा
			4. पाली
			5. पोड़ी उपरोड़ा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. लखनपुर
			3. उदयपुर
			4. सीतापुर
			5. मैनपाट
			6. बतौली
			7. सूरजपुर
			8. भैयाथान
			9. ओडगी
			10. रामानुजनगर
			11. प्रेमनगर
			12. प्रतापपुर
			13. लुण्ड्रा धौरपुर
			14. रामचन्द्रपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
			15. बलरामपुर
			16. वाड्रफनगर
			17. कुसमी
			18. शंकरगढ़
			19. राजपुर
		कोरिया	1. सोनहत
			2. बैकुण्ठपुर
			3. मनेन्द्रगढ़
			4. भरतपुर
			5. खड़गवां
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
			2. खरसिया
			3. रायगढ़
			4. पुसौर
			5. सारंगढ़
			6. बरमकेला
			7. घरघोड़ा
			8. तमनार
			9. लैलूंगा
		जशपुर	1. पत्थलगांव
			2. कांसाब्लेल
			3. कुनकुरी
			4. दुलदुला
			5. फरसाबहार
			6. बगीचा
			7. जशपुर
			8. मनोरा
2.	धान सिंचित (90)	रायपुर	1. रायपुर
			2. बलौदाबाजार
			3. बिलाईगढ़
			4. कसडोल
			5. सिमगा
			6. भाटापारा
			7. आरंग
			8. अभनपुर
			9. पलारी
			10. राजिम
			11. छुरा
			12. मैनपुर
			13. बिन्द्रानवागढ़
			14. तिल्दा

(1)	(2)	(3)	(4)
		महासमुंद	1. महासमुंद
			2. बागबाहरा
			3. पिथौरा
			4. बसना
			5. सरायपाली
		धमतरी	1. धमतरी
			2. नगरी
			3. कुरूद
			4. मगरलोड
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुंडरदेही
			4. धमधा
			5. बालोद
			6. गुरूर
			7. डौंडीलोहारा
			8. बेमेतरा
			9. बेरला
			10. साजा
			11. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. छुरिया
			3. डोंगरगांव
			4. खैरागढ़
			5. छुईखदान
			6. डोंगरगढ़
			7. मानपुर
			8. गोटला
			9. अम्बागढ़चौकी
		कवर्धा	1. बोडला
			2. कवर्धा
			3. पंडरिया
			4. सहसपुर लोहारा
		बस्तर	1. बस्तर
		कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. भानुप्रतापपुर
			5. पखांजूर

(1)	(2)	(3)	(4)
		बीजापुर	1. भोपालपट्टनम
		बिलासपुर	1. मस्तुरी
			2. मुंगेली
			3. पथरिया
			4. पेण्ड्रारोड
			5. पेण्ड्रा
			6. मरवाही
			7. बिलासपुर
			8. कोटा
			9. तखतपुर
			10. लोरमी
			11. बिल्हा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. चाम्पा
			3. पामगढ़
			4. सक्ती
			5. डभरा
			6. नवागढ़
			7. जैजेपुर
			8. मालखरौदा
			9. अकलतरा
			10. बलौदा
		कोरबा	1. करतला
			2. पाली
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. लखनपुर
			3. भैयाथान
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
			2. खरसिया
			3. रायगढ़
			4. पुसौर
			5. सारंगढ़
			6. बरमकेला
			7. लैलूंगा
		जशपुर	1. कुनकुरी
			2. बगीचा

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	मक्का (58)	रायपुर	1. मैनपुर
		राजनांदगांव	1. छुईखदान
		कवर्धा	1. बैरला
			2. पंडरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. लोहाण्डीगुड़ा
			3. तोकापाल
			4. बस्तानार
			5. दरभा
			6. बस्तर
			7. बकावंड
			8. कोंडागांव
			9. माकड़ी
			10. फरसगांव
			11. केशकाल
			12. बड़ेराजपुर
		नारायणपुर	1. नारायणपुर
		कांकेर	1. भानुप्रतापपुर
			2. दुर्गकोंदल
			3. पखांजूर
			4. अंतागढ़
		दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
			2. गीदम
			3. कुआकोंडा
			4. कटेकल्याण
			5. सुकमा
			6. छिंदगढ़
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड
			2. पेण्ड्रा
			3. मरवाही
			4. कोटा
		कोरबा	1. कोरबा
			2. कटघोरा
			3. पाली
			4. पोड़ी उपरोड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
		सरगुजा	1. सीतापुर
			2. मैनपाट
			3. सूरजपुर
			4. भैयाथान
			5. ओडगी
			6. रामानुजनगर
			7. प्रेमनगर
			8. प्रतापपुर
			9. लुण्ड्रा धौरपुर
			10. रामचन्द्रपुर
			11. वाड्रफनगर
			12. कुसमी
			13. शंकरगढ़
			14. राजपुर
		कोरिया	1. सोनहत
			2. बैकुण्ठपुर
			3. मनेन्द्रगढ़
			4. भरतपुर
			5. खड़गवां
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
		जशपुर	1. पत्थलगांव
			2. बगीचा
			3. मनोरा
4.	सोयाबीन (15)	दुर्ग	1. धमधा
			2. बेमेतरा
			3. बेरला
			4. साजा
			5. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगांव
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
			5. डोंगरगढ़
		कबीरधाम	1. बोडला
			2. कवर्धा
			3. पंडरिया
			4. सहसपुर लोहारा
		बिलासपुर	1. मुंगेली

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	मूंगफली (19)	रायपुर	1. देवभोग
		महासमुंद	1. बागबाहरा 2. पिथौरा 3. बसना 4. सरायपाली
		सरगुजा	1. सीतापुर 2. बतौली 3. सूरजपुर 4. भैयाथान 5. प्रतापपुर 6. बलरामपुर
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़ 2. पुसौर 3. सारंगढ़ 4. बरमकेला 5. लैलूंगा
		जशपुर	1. पत्थलगांव 2. कांसाबेल 3. बगीचा
6.	अरहर (34)	रायपुर	1. बलौदाबाजार 2. सिमगा
		दुर्ग	1. धमधा 2. बेमेतरा 3. बेरला 4. साजा
		राजनांदगांव	1. छुरिया 2. छुईखदान 3. डोंगरगढ़
		कवर्धा	1. बोडला 2. पंडरिया 3. सहसपुर लोहारा
		बिलासपुर	1. मुंगेली 2. पेण्ड्रारोड 3. तखतपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		सरगुजा	1. सीतापुर
			2. बतौली
			3. सूरजपुर
			4. ओडगी
			5. रामानुजनगर
			6. प्रतापपुर
			7. लुण्ड्रा
			8. रामचन्द्रपुर
			9. वाड्रफनगर
			10. राजपुर
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
			2. मनेन्द्रगढ़
			3. भरतपुर
			4. खड़गवां
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
			2. लैलूंगा
		जशपुर	1. पत्थलगांव
			2. कांसाबेल
			3. बगीचा

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक/2644/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	अरमुरकसा प. ह. नं. 20	4.27	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नवापारा जलाशय के अंतर्गत रपटा एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

दुर्ग, दिनांक 11 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 752/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	नंदौरी	0.04	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग.	सूखा राहत के अंतर्गत डब्ल्यू. बी. एम. सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 मई 2009

भू-अ. प्र. क्र. 03/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	खुर्सीपार, प. ह. नं. 3	0.594	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2009

क्रमांक 05/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव	1.669	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आमापारा व्यपवर्तन वियर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2009

क्रमांक 11/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खुरदुर	2.539	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2009

क्रमांक 12/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोटा, न. पं.	10.255	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 14 मई 2009

क्रमांक/1700/भू-अर्जन/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-कटेकल्याण
- (ग) नगर/ग्राम-धनीकरका, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
713	0.16
744	0.05
745	0.10
75[illegible]	0.05
75[illegible]	0.07
77[illegible]	0.25
योग	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गाटम से सूरनार मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/456/प्र. 1/अ.वि. अ./2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-आनंदगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.66 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2008	0.67
	2010	0.66
	2011	0.33
योग	3	1.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/458/प्र. 1/अ.वि. अ./2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-गब्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	315	0.04
	316	0.16
	332	0.26
	333/1	0.01
योग	4	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन, अधिकारी, साजा के कार्यालय किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/459/प्र. 1/अ.वि. अ./2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसबोड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23	0.26
73	0.04
48	0.02
94	0.34
317	0.07
393	0.05
योग 6	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th May 2009

No. 369/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2), are transferred from the place show in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Amrit Lal Dahariya, Additional District & Sessions Judge.	Gariyaband	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Smt. Minakshi Gondaley.
2.	Shri Narendra Singh Chawla, Additonal District & Sessions Judge.	Dantewara	Gariyaband	Raipur	Additional District & Sessions Judge Vice Shri A. L. Dahariya.
3.	Shri Anand Kumar Beck, Additional Registrar (D. E. & E.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Raipur	Raipur	VIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri Rakesh Bihari Ghore.
4.	Shri Rakesh Bihari Ghore, VIII, Additional District & Sessions Judge (F. T. C.).	Raipur	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	II Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri Rajesh Kumar Shrivastava.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Shri Bhuneshwar Ram Pradhan, Chairman Permanent Lok Adalat.	Raipur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Additional District & Sessions Judge Vice Shri N. S. Chawla.
6.	Shri Ashok Kumar Lunia, Additinal District & Sessions Judge (F. T. C.).	Ramanujganj	Bhatapara	Raipur	Additional District & Sessions Judge Vice Shri Mansukh Karketta.
7.	Shri Mansukh Karketta, Additional Distric & Sessions Judge.	Bhatapara	Ramanujganj	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri Ashok Kumar Lunia.

Bilaspur, the 7th May 2009

No. 371/Confdl./2009/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Rajesh Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service, presently II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.) Surajpur, District-Surguja (Ambikapur) is appointed as Additional Registrar (D. E. & E.), in the Establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 7th May 2009

No. 373/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) are transferred from the palce shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :–

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Kiran Chaturvedi, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Dhamtari	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrare Vice Smt. Anita Dahariya
2.	Smt. Anita Dahariya, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Mahasamund	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate Vice Smt. Kiran Chaturvedi.

Bilaspur, the 7th May 2009

No. 374/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judge Class-I as specified in Column No. (2) is transferred from the palce shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District

mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assumes charge of his office :–

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rishi Kumar Barman, II Civil Judge Class-I.	Mahasamund	Saraipali	Mahasamund	II Civil, Judge Class-I Mahasamund at Saraipali.

Bilaspur, the 7th May 2009

No. 376/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the palce mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :–

TABLE

S. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Kumar Tiwari, Civil Judge Class-II.	Sitapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	III Civil Judge Class-II Vice Shri Manoj Kumar Prajapati.
2.	Shri Manoj Kumar Prajapati III Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Sitapur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class II Vice Shri Vivek Kumar Tiwari.
3.	Smt. Yogita Vinay Wasnik, VI Civil Judge Class-II.	Durg	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	I Civil Judge Class-II Vice Shri Anil Kumar Bara.
4.	Shri Anil Kumar Bara, I Civil Judge Class-II.	Dantewara	Kasdol	Raipur	Civil Judge Class-II Vice Ku. Shraddha Shukla.
5.	Ku. Shraddha Shukla, Civil Judge Class-II.	Kasdol	Raipur	Raipur	XII Civil Judge Class-II Vice Shri Pankaj Kumar Jain.
6	Shri Pankaj Kumar Jain, XII Civil Judge Class-II.	Raipur	Gunderdehi	Durg	Civil Judge Class-II Vice Shri L. P. S. Baghel.
7	Shri Lavkesh Pratap Singh Baghel, Civil Judge Class-II.	Gunderdehi	Durg	Durg	VI Civil Judge Class-II Vice Smt. Yogita Vinay Wasnik.
8	Shri Dilesh Kumar Yadav, I Civil Judge Class-II	Surajpur	Wadrafnagar	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II Vice Shri Mahesh Kumar Raj.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Shri Kamlesh Kumar Jurri, XIII, Civil Judge Class-II.	Raipur	Patthalgaon	Jashpur	Civil Judge Class-II Vice Smt. Madhu Tiwari.
10.	Smt. Madhu Tiwari, Civil Judge Class-II.	Patthalgaon	Raipur	Raipur	XIII Civil Judge Class-II Vice Shri Kamlesh Kumar Jurri.

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2009

क्रमांक 3535/तीन-10-11/2000 (भाटापारा-बलौदा बाजार).—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 8002/तीन-22-3/2007 (भाटापारा-बलौदा बाजार) दिनांक 15-11-2007 जहां तक उसका संबंध अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भाटापारा की श्रृंखला न्यायालय बलौदा बाजार से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 3535/III-10-11/2000 (Bhatapara Baloda Bazar).—The Notification No. 8002/III-22-3/2007 (Bhatapara-Baloda Bazar), dated 15-11-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Additional District & Sessions Judge, Bhatapara at Baloda-Bazar is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2009

क्रमांक 3537/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम नम्बर (1) में दर्शित अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक, जिसका संबंध कॉलम नम्बर (2) में दर्शित न्यायाधीश के, कॉलम नम्बर (3) में दर्शित स्थान के श्रृंखला/शिविर न्यायालय से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

सारणी

अधिसूचना क्रमांक, दिनांक (1)	न्यायालय का नाम (2)	स्थान (3)
725/18-01-2008	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिमगा	बलौदा-बाजार
642/17-01-2008	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, देवभोग	गरियाबंद

No. 3537/III-10-11/2000.—The following Notification Nos./Date as mentioned in column No. (1) so far as it relates to holding Camp/Link Court of the Court mentioned at column No. (2) at the places mentioned at column No. (3) of the table below, are hereby cancelled.

TABLE

Notification Nos./Date (1)	Name of the Court (2)	Place (3)
725/18-01-2008	Civil Judge Class-II & JMFC, Simga	Baloda-bazar
642/17-01-2008	Civil Judge Class-II & JMFC, Devbhog	Gariyaband

Bilaspur, the 14 May 2009

No. 390/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2), are transferred from the place show in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanman Singh, District & Sessions Judge.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	District & Sessions Judge Vice Shri Alok Jha.
2.	Shri Sandeep Buxy, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Raipur	Raipur	District & Sessions Judge Vice Shri H. S. Markam (due to retire on 31-05-2009).
3.	Smt. Anita Jha, Judge, Family Court.	Rajnandgaon	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge Vice Shri Sanman Singh.
4.	Shri Sharad Kumar Gupta, District & Sessions Judge.	Jashpur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge Vice Shri P. K. Shrivastava.
5.	Shri R. P. Sharma Special Judge under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act.	Ambikapur	Jashpur	Jashpur	District & Sessions Judge Vice Shri Sharad Kumar Gupta.

Bilaspur, the 14th May 2009

No. 392/Confdl./2009/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Alok Jha, Member of Higher Judicial Service, presently District & Sessions Judge, Rajnandgaon is appointed as Registrar (Vigilance), in the Establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 14th May 2009

No. 394/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are hereby posted on the post of special Judge, as mentioned in Column No. (6) of the table below of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are also appointed as Additional Sessions Judge for the

Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Goyal, II Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
2.	Shri Neelam Chand Sankhla, I Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

Bilaspur, the 14th May 2009

No. 396/Confdl./2009/II-2-1/2007.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2), are transferred from the place show in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jerom Kujur, Additional District & Sessions Judge.	Manendragarh	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Additional District & Sessions Judge Vice Shri Sevak Ram Banjare
2.	Shri Sevak Ram Banjare, Additional District & Sessions Judge.	Janjgir-Champa	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Additional District & Sessions Judge Vice Shri Jerom Kujur.
3.	Shri Arvind Kumar Verma, XII, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Raipur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Ramesh Shrivastava, IV Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	III Additional District & Sessions Judge.

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.